उत्तर मध्य रेलवे के साधारण एवं सहायक नियम की संशोधन पर्ची संख्या-58 दिनांक-29.05.2019 का राजभाषा में अनुवाद |

1. नया स.नि. 3.78/4(iv) निम्नानुसार जोड़ा जाता है-

क. यदि लोको पायलट को सेक्शन की नई/दूसरी/तीसरी/चौथी/बहु (मल्टीपल) लाइन की रोड लर्निंग प्राप्त नहीं हुई है, तब वह अत्यधिक सतर्कता पूर्वक और सिगनल लोकेशन बुक के आधार पर दिन के समय जब आगे की दृश्यता साफ हो तब अधिकतम 30 कि.मी. प्रतिघंटा से और रात के समय, धुंध, कोहरे अथवा तूफानी मौसम के दौरान जब दृश्यता साफ न हो तब अधिकतम गति 15 कि.मी. प्रतिघंटा से सेक्शन क्लियर करेगा, साथ ही अन्य लागू गति प्रतिबंधों का भी पालन करेगा |

ख. यदि नई/दूसरी/तीसरी/चौथी/बहु (मल्टीपल) लाइन का उल्लेख सिगनल लोकेशन बुक में न हो तो, लोको पायलट अत्यधिक सतर्क रहेगा और दिन तथा रात के समय अधिकतम 15 कि.मी. प्रतिघंटा से सेक्शन क्लियर करेगा |

2. वर्तमान स.नि. 3.26/2 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -

जब कभी आई.बी.एस. और गेट सिगनल सहित कोई भी नया सिगनल लगाया जाता है, या वर्तमान सिगनल का स्थान बदला जाता है तब इस सम्बन्ध में लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने हेतु नए सिगनल का प्रयोग चालू करने या वर्तमान सिगनल का स्थान बदलने के बाद 90 दिनों की अवधि तक नए सिगनलों की निश्चित स्थिति किलोमीटर सहित और दिशा अनुसार (अर्थात दाएं हाथ की ओर अथवा बाएं हाथ की ओर) सिगनल का उल्लेख करते हुए सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा और लॉबी पर्यवेक्षक द्वारा इस आशय की प्रविष्टि कर्मीदल बुकिंग लॉबियों में उपलब्ध रजिस्टर/आदेश पुस्तिका/कंप्यूटर में की जाएगी |

(संदर्भ: पी.ई.डी./संरक्षा/रेलवे बोर्ड का पत्रांक-2017/संरक्षा(डीएम)/7/25/पार्ट/4 दिनांक-13.02.2019)

दिनांक : 19.02.2020

(रवि वल्लूरी)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक